This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 26 दिसम्बर, 2025 / 05 पौष, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला–02, 19 दिसम्बर, 2025

संख्या : रैव–डी (ए)1–1 / 2024–(हमीरपुर).––हिमाचल प्रदेश भू–अभिलेख नियमवाली, 1992 के पैरा 3-17 एवम् 3-21 में वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला हमीरपुर की

तहसील गलोड़ के पटवार वृत्त कड़साई में से महाल कुठेहड़ा को निकालकर पटवार वृत्त लहड़ा, तहसील गलोड़ तथा उप–तहसील कांगू के पटवार वृत्त जोलसप्पड़ में से महाल कोहला पलासडी को निकालकर पटवार वृत्त रंगस, उप–तहसील कांगू में शामिल/समायोजित करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
(के० के० पन्त),
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)

———————————

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला–02, 19 दिसम्बर, 2025

संख्याः राजस्व–घ (ए) 1–1 / 2024–(हमीरपुर).––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला हमीरपुर के उपमंडल (नागरिक) नादौन की तहसील गलोड़ के अन्तर्गत पटवार वृत्त पन्याली में सम्मिलित महाल मांजारा को निकालकर पटवार वृत्त बेहा, उप–तहसील कांगू व पटवार वृत्त पन्याली से ही महाल मंसान बाहल, बिहडू और खतरोड़ को पटवार वृत्त जसाई, उप–तहसील कांगू में शामिल / समायोजित करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
(के० के० पन्त),
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)

———————————

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला–02, 19 दिसम्बर, 2025

संख्याः राजस्व–घ (ए)1–1 / 2024–(हमीरपुर).––हिमाचल प्रदेश भू–अभिलेख नियमवाली, 1992 के पैरा 3.17 एवम् 3.18 में वर्णित / निर्दिष्ट प्रावधानों / मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपमंडल (ना०) नादौन, तहसील नादौन जिला हमीरपुर के अन्तर्गत पटवार वृत्त चौडू का विघटन / पुनर्गठन करके नया पटवार वृत्त जीहण का अनुलग्नक 'क' में दिये गए विवरण अनुसार खोलने / सृजन करने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
(के० के० पन्त),
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)

अनुलग्नक– "क"

नव सृजित पटवार वृत्त जीहण के सृजन उपरान्त पटवार वृत्त चौडू में सम्मिलित मुहालों का नाम	नव सृजित पटवार वृत्त जीहण में सम्मिलित किये जाने वाले मुहालों का नाम
1. गडियाना 2. चोआ 3. वडेतर 4. चोआ चकराला 5. वडियार 6. मत्याल 7. अमलैहडू 8. दवकेड 9. टिकरू वरोटा 10. तरेटी 11. जमनोटी 12. वूसल 13. सानी	1. ठारु 2. डी पी एफ जीहण 3. बुम्ब्लू 4. पुज्याल 5. सलासी 6. जीहण

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला–02, 19 दिसम्बर, 2025

संख्याः राजस्व–घ (ए)1–1 / 2024–(हमीरपुर).––हिमाचल प्रदेश भू–अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 2.5 में वर्णित / निर्दिष्ट प्रावधानों / मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उप–मंडल (नागरिक) नादौन की तहसील नादौन, उप–तहसील कांगू, जिला हमीरपुर के अन्तर्गत वर्तमान कानूनगो वृत्त रैल, गलोड़–I व गलोड़–II का विघटन करते हुए 4 नये कानूनगो वृत्त बड़ा, जीहण, फाह्ल व पन्याली–सरेडी इनमें निम्नलिखित पटवार वृत्तों को सम्मिलित करते हुए तुरन्त प्रभाव से खोलने / सृजित करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

क्रम संख्या	तहसील / उप–तहसील	नव सृजित कानूनगो वृत्त के नाम	नव सृजित कानूनगो वृत्त में सम्मिलित पटवार वृतों के नाम
1.	नादौन	बड़ा	1. बड़ा 2. चौडू
		जीहण	1. जीहण 2. डूहक
2.	गलोड़	फाह्ल	1. फाहल 2. कोटलू 3. गाहलियां 4. लज्याणा
		पन्याली–सरेडी	1. बड़ोह्ग 2. पन्याली 3. कडसाई 4. सरेडी

इसके अतिरिक्त जिला हमीरपुर के उप–मंडल (नागरिक) नादौन की तहसील नादौन के अन्तर्गत वर्तमान कानूनगो वृत्त रैल व नादौन, तहसील गलोड़ के अन्तर्गत वर्तमान कानूनगो वृत्त गलोड़–II व गलोड़–I और उप–तहसील कांगू के अन्तर्गत वर्तमान कानूनगो वृत्त कांगू और रंगस का निम्नलिखित प्रकार से पुनर्गठन करने का भी सहर्ष आदेश देते हैं :–

क्रम संख्या	**तहसील / उप–तहसील**	**कानूनगो वृत्त के नाम**	**पटवार वृत्त का नाम**	
1.	नादौन	1.नादौन	1. नादौन 2. कोहला 3. मिट 4. सेरा	5. गारनी 6. जलाडी 7. फतेहपुर 8. भूम्पल
		2. रैल	1. बलडूहक 2. सपरोह 3. रक्कड	
		3. घनेटा	1. घनेटा 2. ग्वालपत्थर 3. जसोह 4. कमलाह 5. बटरांण	6. झलाण 7. करौर 8. कश्मीर 9. दाड
2.	गलोड़	1. गलोड़ –I	1. लहडा 2. ब्राहलडी 3. नारा 4. बदारन	
3.	कांगू	1. कांगू रंगस	1. रंगस 2. नौहगी 3. दंगडी 4. कांगू	
		2. जसाई	1.जसाई 2.बेहा 3.मंझेली	

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
(के० के० पन्त),
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)

————————

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला–02, 19 दिसम्बर, 2025

संख्याः राजस्व–घ (ए)1–10 / 2025 (हमीरपुर).––हिमाचल प्रदेश भू–अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 3.17 एवम् 3.18 में वर्णित / निर्दिष्ट प्रावधानों / मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जिला

हमीरपुर की उप–तहसील कांगू के अन्तर्गत पटवार वृत्त दंगडी व कांगू का विघटन करके नया पटवार वृत्त मंझेली का अनुलग्नक 'क' में दिये गए विवरण अनुसार खोलने / सृजन करने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
(के० के० पन्त),
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

———————

अनुलग्नक– "क"

वर्तमान पटवार वृत्त दंगडी से निकाले गए मुहालों के उपरांत दंगडी की वर्तमान स्थिति		वर्तमान पटवार वृत्त कांगू से निकाले गए मुहालों के उपरांत कांगू की वर्तमान स्थिति
1. लोहारकड़ 2. चौक 3. चौभू 4. कच्छौटी 5. चिलवाहल 6. बहल 7. गुमत्याल 8. नरयाह 9. समूह 10. बरूही	11. रुहाल 12. दंगडी 13. कथलाणी 14. कुठयाणा 15. दरकोहला 16. बरोटी	1. मालग 2. बडवाणा 3. गयोड 4. चराडा 5. रजोहल 6. ठां 7. झरेडी 8. तेलकड 9. भरियाल 10. हार खालसा
प्रस्तावित पटवार वृत्त मंझेली में सम्मलित मुहालों का नाम		
1. मंझेली 2. तरकेडी 3. डी.पी.एफ. लोहारकड़		4. धौई दा पंगा 5. गुजरेडा 6. जुलाह्वाहल

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
(के० के० पन्त),
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

———————

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th December, 2025

No. HFW-C-F004/1/2024-Health-C.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of the Section 10 of the Himachal Pradesh Prohibition of Sale of Loose Cigarettes and Beedies and Regulation of Retail Business of Cigarettes and other Tobacco Products Act, 2016 (Act No. 3 of 2016), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to confer the power to

compound offences committed under Section 3 of this Act, either before or after the initiation of prosecution for a fine amount of Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand only) upon the following officers of different government departments for the purpose of implementing the provisions of the Act within their respective jurisdictions:—

	Department	Designate Officers
1.	Health and Family Welfare	Block Medical Officer, Senior Medical Officer, Corporation Health Officer, Assistant Commissioner (F&S), Food Safety Officer, Drug Inspector and all the officers above these ranks.
2.	State Tax & Excise	Assistant Commissioner, Excise and Taxation Officer, Excise and Taxation Inspector and all the officers above these ranks.
3.	Home Department.	All Police Officers not below the rank of Assistant Sub-Inspector of Police
4.	Rural Development & Panchayati Raj Department.	Block Development Officer, Panchayat Inspector, Panchayat Secretary and all officers above these ranks.
5.	Urban Development Department	Additional Commissioner (Municipal Corporation) Sanitary Inspector, Executive Officer (Municipal Counil) Secretary (Nagar Panchayat) and all officers above these rank.

By order,

Secretary (Heatlh).

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th December, 2025

No. HFW-C-F004/1/2024-Health-C.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) & (2) of the Section 8 of the Himachal Pradesh Prohibition of Sale of Loose Cigarettes and Beedies and Regulation of Retail Business of Cigarettes and other Tobacco Products Act, 2016 (Act No. 3 of 2016), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to designate the following officers as Authorized Officers for the purpose of implementing the provisions of this Act within their respective jurisdictions:—

	Department	Designate Officers
1.	Health and Family Welfare	Block Medical Officer, Senior Medical Officer, Corporation Health Officer, Assistant Commissioner (F&S), Food Safety Officer, Drug Inspector and all the officers above these ranks.
2.	State Tax & Excise	Assistant Commissioner, Excise and Taxation Officer, Excise and Taxation Inspector and all the officers above these ranks.
3.	Home Department.	All Police Officers not below the rank of Assistant Sub-Inspector of Police.
4.	Rural Development & Panchayati Raj Department.	Block Development Officer, Panchayat Inspector, Panchayat Secretary and all officers above these ranks.
5.	Urban Development Department.	Additional Commissioner (Municipal Corporation) Sanitary Inspector, Executive Officer (Municipal Counil) Secretary (Nagar Panchayat) and all officers above these rank.

By order,

Secretary (Heatlh).

JAL SHAKTI VIBHAG

NOTIFICATION

Shimla-2, 25th November, 2025

` **No. IPH-B(A) 1-1/2009-I.—**The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Shashi Sharma s/o Late Sh. Tilak Raj Sharma, Village and Post Office Ner Chowk, Distt. Mandi, H.P. as Vice Chairman of the Himachal Pradesh Water Management Board with immediate effect in public interest.

The Terms and Conditions of Sh. Shashi Sharma, Vice Chairman of HP Water Management Board will be issued separately.

This notification has already been uploaded on e-gazette of H.P. Government.

By order,

RAKHIL KAHLON,
Secretary (Jal Shakti).

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, UNA, DISTRICT UNA (H.P.)

NOTIFICATION

Dated, 15th December, 2025

No. 903-910/ADC/LFA.— In supersession of this office notification bearing No. 167926-27/ADC/LFA, dated 24-11-2022 and in exercise of the powers vested in me under Rules 200 and 203 of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999. I, Jatin Lal, IAS, District Magistrate Una do hereby revise the Adda fee and parking charges as per agreement in respect of Bus/Parking services originating/passing through the new Bus Stand Una, District Una (HP), constructed by the M/s Mukesh Ranjan Contractor Pvt.Ltd. is as under:—

1. Adda fee Rs. 121/- per bus for 24 Hours

2. Night parking fee Rs. 121/- per bus for 24 Hours

Parking Rate Structure

Duration	**Two-Wheeler/Rs.**	**Three-Wheeler/Rs.**	**Four-Wheeler/Rs**
0-30 Minutes	10	10	10
30 Minutes - 3 Hours	15	25	50
3 Hours – 9 Hours	25	35	70
9 Hours – 12 Hours	30	45	80
12 Hours - 24 Hours	40	55	100

These orders shall come into force with effect from 15-12-2025.

By order,

JATIN LAL, IAS.
District Magistrate,
Una, Distt. Una (H.P).

SPECIFIC NOTIFICATION
FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 14th December, 2025

No. Fin-2-C(12)1/2025.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (Securities) of **15**-year tenure for an aggregate amount of

Rs. **1000 crore** (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan :

1. (i) The Proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the State of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai- 400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the **yield** based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders :

3. The Government Stock up to 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure -II).

Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai -400 001 on **December 30, 2025**. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on **December 30, 2025**:

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on **December 31, 2025**.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on **December 31, 2025**, before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of **15**-year tenure. The tenure of the Stock will commence on **December 31, 2025**.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on **December 31, 2040**.

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on **June 30 and December 31**.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh.

Sd/-

(RAKESH KANWAR, IAS),
Secretary (Finance).

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा श्री शुभांगी महाजन, पुत्री श्री गोपाल महाजन, निवासी गांव स्योहला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

गौरव रविन्द्र वाघ पुत्र श्री रविन्द्रा, तुकाराम वाघ निवासी गौरव कलोनी, अंबड लिंक रोड, नासिक, महाराष्ट्र।

.. प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.– प्रार्थना–पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकदमा उनवानवाला में प्रार्थी शुभांगी महाजन, पुत्री श्री गोपाल महाजन, निवासी गांव स्योहला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व गौरव रविन्द्र वाघ पुत्र श्री रविन्द्रा, तुकाराम वाघ निवासी गौरव कलोनी, अंबड लिंक रोड, नासिक, महाराष्ट्र ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया

है जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 12–12–2024 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टी समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टी हेतु सचिव, ग्राम पंचायत स्योहला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टी दिनांक 12–12–2024 को दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 05–01–2026 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा शुभांगी महाजन, पुत्री श्री गोपाल महाजन, निवासी गांव स्योहला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व गौरव रविन्द्र वाघ पुत्र श्री रविन्द्रा, तुकाराम वाघ निवासी गौरव कलोनी, अंबड लिंक रोड, नासिक, महाराष्ट्र के विवाह की प्रविष्टी करने हेतु ग्राम पंचायत स्योहला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

————————

In the Court of Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate,**
Bharmour, District Chamba (H.P.)

Sh. Vinay Kumar s/o Sh. Jai Karan, r/o V.P.O. Urei, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P.

&

Smt. Naveena MK d/o Sh. Mb Abdul Kareem, r/o Azad Nagar Town Madekeri, Tehsil Madikeri, Distt. Kodagu, Karnatka. ..*Applicants*.

Versus

General Public

Subject.—Notice for Registration of Marriage.

Applicants Sh. Vinay Kumar s/o Sh. Jai Karan, r/o V.P.O. Urei, Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.) & Smt. Naveena MK d/o Sh. Mb Abdul Kareem, r/o Azad Nagar, Town Madekeri, Tehsil Madikeri, Distt. Kodagu, Karnatka have filed an application under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of the undersigned in which they have started that they solemnized their marriage on 16-04-2025 as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-01-2026. The objection received after 05-01-2026 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 26-11-2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

In the Court of Sh. Anil Kumar Bhardwaj, Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba (H.P.)**

In the Matter of :

1. Prabhjit Singh s/o Sh. Charanjit Singh, r/o B-371, Harold ST, Dieppe, NB E 1A 1Y9, Alternative Address V.P.O. Banikhet, Tehsil Dalhousie, Distt. Chamba (H.P.) age 29 years.

2. Sneh Preet d/o Sh. Amar Pal Singh, r/o 552, Niti Khand-1, Indrapuram, Ghaziabad (U.P.) age 22 years ... *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Application for the Registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Prabhajit Singh and Sneh Preet have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 09-12-2025 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16th January, 2026. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

seal. Sd/-

(ANIL KUMAR BHARDWAJ),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Dalhousie, District Chamba (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
806425 / 2025	नाम दुरुस्ती	26—11—2025	31—12—2025

श्री राजू राम पुत्र जुल्फी राम, वासी गांव कुडाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ... वादी।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती under section 37(1), 1954 श्री राजू राम पुत्र जुल्फी राम, वासी गांव कुडाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री राजू राम पुत्र जुल्फी राम, वासी गांव कुडाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम मोहाल कुडाणा के राजस्व अभिलेख में राज कुमार पुत्र जुल्फी राम दर्ज है, जबकि उसका सही नाम राजू राम पुत्र जुल्फी राम है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके राज कुमार उर्फ राजू राम पुत्र जुल्फी राम किया जाए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 31–12–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी राजू राम का नाम मोहाल कुडाणा में दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 15–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
29 / NT / 2025	नाम दुरुस्ती	23–08–2025	31–12–2025

श्री रविंदर कुमार पुत्र कश्मीर सिंह उर्फ जौहन्डू राम, वासी गांव सुन्दराडा, डाकघर चरोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... वादी।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती under section 37(1), 1954 श्री रविंदर कुमार पुत्र कश्मीर सिंह उर्फ जौहन्डू राम, वासी गांव सुन्दराडा, डाकघर चरोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री रविंदर कुमार पुत्र कश्मीर सिंह उर्फ जौहन्डू राम, वासी गांव सुन्दराडा, डाकघर चरोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसके पिता का नाम मोहाल सुन्दराडा के राजस्व अभिलेख में जौहन्डू राम दर्ज है, जबकि उनका सही नाम कश्मीर सिंह है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके जौहन्डू राम उर्फ कश्मीर सिंह किया जाए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 31–12–2025 को सुबह 10:00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित

होकर पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी के पिता का नाम मोहाल सुन्दराडा में दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 15–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
68 / NT / 2025	नाम दुरुस्ती	16–12–2025	31–12–2025

श्रीमती सत्या देवी पुत्री मुन्शी राम, वासी मोहाल सौड, डाकघर जोल लम्बरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... वादी।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 श्रीमती सत्या देवी पुत्री मुन्शी राम, वासी मोहाल सौड, डाकघर जोल लम्बरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र बराये जन्मतिथि पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती सत्या देवी पुत्री मुन्शी राम, वासी मोहाल सौड, डाकघर जोल लम्बरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 02–05–1949 को ग्राम पंचायत लम्बरी में हुआ था तथा सहवन गलती से ग्राम पंचायत लम्बरी में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत लम्बरी में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 31–12–2025 को सुबह 10:00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 16–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

1. कमल राठी पुत्र श्री करमवीर, गांव सिवान, डा0 सिवान, तहसील सिवान, जिला कैथल, हरियाणा

2. शिल्पा कुमारी पुत्री विरेन्द्र, गांव खुराहल, डा0 धमरोल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 .. प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.–विवाह पंजीकरण अधीन धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अधीन दर्ज करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थीगण ने दिनांक 05–12–2025 को आवेदन प्रस्तुत किया है कि उन्होंने 25–04–2025 को आपस में हिन्दू रीति–रिवाजों के अनुसार विवाह किया है, लेकिन किसी कारणवश वह ग्राम पंचायत धिरड़, तहसील भोरंज, में दर्ज नहीं हो सका। प्रार्थीगण अब इस विवाह को ग्राम पंचायत धिरड़ में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस विवाह पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन हाजिर होकर दिनांक 08–01–2026 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 06–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
उप–मण्डल दण्डाधिकारी एंव विवाह पंजीकरण अधिकारी,
भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

1. मनोहर लाल पुत्र श्री गदो राम, गांव व डा0 अमरोह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

2. शकुन्तला देवी पुत्री श्री शेर सिंह, गांव बग्गी, डा0 पौंटा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0 प्र0 .. प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.–विवाह पंजीकरण अधीन धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अधीन दर्ज करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थीगण ने दिनांक 02–12–25 को आवेदन प्रस्तुत किया है कि उन्होंने दिनांक 17–02–87 को आपस में हिन्दू रीति–रिवाजों के अनुसार विवाह किया है, लेकिन किसी कारणवश वह ग्राम पंचायत अमरोह, तहसील भोरंज में दर्ज नहीं हो सका है। प्रार्थीगण अब इस विवाह को ग्राम पंचायत अमरोह में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है इस विवाह पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन हाजिर होकर दिनांक 05–01–2026 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 02–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
उप–मण्डल दण्डाधिकारी एंव विवाह पंजीकरण अधिकारी,
भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डैहर, उप–तहसील डैहर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : / 2025 तारीख मजरूआ : 05–12–2025

व मुकद्दमा शीर्षक :

श्रीमती कुसमा देवी पत्नी भगवान दास, निवासी गांव व डाकघर कांगू, उप–तहसील डैहर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.––*Application for correction of Name and date of Birth of applicant.*

श्रीमती कुसमा देवी पत्नी भगवान दास, निवासी गांव व डाकघर कांगू, उप–तहसील डैहर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम व जन्म तिथि आधार कार्ड में नाम कुशम देवी तथा जन्म तिथि 30–12–1982 गलत दर्ज किया गया है, परन्तु नकल परिवार ग्राम पंचायत कांगू व स्कूल प्रमाण–पत्र में कुसमा देवी तथा जन्म तिथि 22–12–1982 दर्ज है जोकि सही है। जिससे उसे कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उसका नाम कुशम देवी के स्थान पर कुसमा देवी तथा आधार कार्ड में जन्म तिथि 30–12–1982 के स्थान पर 22–12–1982 दर्ज कर दिया जावे।

अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम व जन्म तिथि की दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 06–01–2026 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज लिखित या मौखिक रूप में पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के पक्ष में नाम व जन्म तिथि दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
डैहर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 28 / प. ध्2025 तारीख दायर दावाः 02–07–2025 अग्रिम तारीख पेशी : 12–01–2026

श्री मेहर चन्द, सुपुत्र श्री सरदा, निवासी बदार, डाकघर रखोह, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0 ..... प्रार्थी।

बनाम

1. श्री शशी पाल ठाकुर सुपुत्र श्री प्रेमा, 2. श्री ऋषि केश ठाकुर सुपुत्र श्री प्रेमा, 3. श्री पृथी पाल ठाकुर सुपुत्र श्री प्रेमा, 4. श्रीमती नीलम ठाकुर सुपुत्री श्री प्रेमा, 5. श्री रणजीत सिंह सुपुत्र श्री त्रहडू, 6. श्रीमती जमना देवी सुपुत्री त्रहडू, 7. श्री भागी सुपुत्र श्री पंडतू, 8. श्री भुवनेश्वर सुपुत्र श्री सुख देव, 9. श्री नरेश्वर सुपुत्र श्री सुख देव, 10. श्री शवनेश्वर सुपुत्र श्री सुख देव, 11. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सुख देव, 12. श्री सुशील कुमार सुपुत्र श्री इन्द्र सिंह, 13. श्री रूप सिंह सुपुत्र श्री सिह्नु, 14. श्रीमती कृष्णी देवी सुपुत्री श्री श्यामा, समस्त निवासी बदार, डाकघर सरकाघाट, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0 ..... प्रत्यार्थीगण।

दरख्वास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं0 8 / 20–21, खसरा नं0 कित्ता–6, रकवा तादादी 00–38–40 हैक्टेयर, मुहाल बदारी, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मुहाल बदारी, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0 के खाता खतौनी त्रहडू हैक्टेयर की तकसीम करवाने हेतु दरख्वास्त गुजारी है। प्रतिवादी 6, 14 को कई बार समन जारी किये, लेकिन उन्हें समनों की तामील नहीं हो पा रही है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस तकसीम बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 12–01–2026 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मौका तकसीम करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 29 / प. ध्2025 तारीख दायर दावाः 02–07–2025 अग्रिम तारीख पेशी : 12–01–2026

श्री मेहर चन्द, सुपुत्र श्री सरदा, निवासी बदार, डाकघर रखोह, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0।

प्रार्थी।

बनाम

1. श्री भुवनेश्वर सुपुत्र श्री सुख देव, 2. श्री नरेश्वर सुपुत्र श्री सुख देव, 3. श्री शवनेश्वर सुपुत्र श्री सुख देव, 4. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सुख देव, 5. श्री सुशील कुमार सुपुत्र श्री इन्द्र सिंह, 6. श्री रूप सिंह सुपुत्र श्री सिह्नु, 7. श्रीमती कृष्णी देवी सुपुत्री श्री श्यामा, 8. श्रीमती इशरो देवी सुपुत्री श्यामा समस्त निवासी बदार, डाकघर सरकाघाट, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0 प्रत्यार्थीगण।

दरख्वास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं0 5 / 17, खसरा नं0–723, रकवा तादादी 00–00–70 हैक्टेयर, मुहाल बदारी, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मुहाल बदारी, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0 के खाता खतौनी नं0 5 / 17, खसरा नं0 कित्ता–723, रकवा तादादी 00–00–70 हैक्टेयर की तकसीम करवाने हेतु दरख्वास्त गुजारी है। प्रतिवादी 7, 8 को कई बार समन जारी किये, लेकिन उन्हें समनों की तामील नहीं हो पा रही है।

इस सम्बन्ध में सर्व साधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस तकसीम बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 12–01–2026 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मौका तकसीम करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 34 / प.।ध्2025 तारीख दायर दावाः 28–07–2025 अग्रिम तारीख पेशी : 12–01–2026

1. श्री संजीव कुमार सुपुत्र जगदीश कुमार, 2. श्री प्रदीप कुमार सुपुत्र श्री जगदीश कुमार समस्त निवासी बैहड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0 प्रार्थीगण।

बनाम

1. श्री संजीव कुमार सुपुत्र श्री बृज लाल, 2. श्रीमती शीतला देवी उर्फ शिवा देवी, 3. श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री जौंगी 4. श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह, 5. श्री रमेश कुमार सुपुत्र श्री गोविन्द राम, 6. श्रीमती सुनिता कुमारी पत्नी श्री सुरजीत कुमार, 7. श्री विजय कुमार सुपुत्र श्री हरी चन्द 8. श्री केहर सिंह सुपुत्र श्री हरी चन्द, 9. श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री विजय कुमार, 10. श्री रिन्कू सुपुत्र श्री लुदर सिंह, 11. श्री रूप लाल सुपुत्र श्री लुदर सिंह, 12. श्रीमती प्रमिला देवी पत्नी श्री दलीप सिंह, 13. श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री संतोष कुमार, 14. श्रीमती वीना देवी पत्नी श्री विजय कुमार, 15. श्री राज कुमार सुपुत्र श्री दया सिंह, 16. श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री दिनु, 17. श्री प्रदीप कुमार सुपुत्र श्री हरी चान्द, 18. श्रीमती सपना कुमारी पत्नी श्री दिनु ठाकुर समस्त निवासी बदार, डाकघर सरकाघाट, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0 प्रत्यार्थीगण।

दरख्वास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं0 140 / 209 खसरा नं0–कित्ता 38, रकवा तादादी 02–49–64 हैक्टर मुहाल बैहड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मुहाल बैहड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0 के खाता खतौनी नं0 140 / 209, खसरा नं0–कित्ता 38 रकवा तादादी 02–49–64 हैक्टेयर की तकसीम करवाने हेतु दरख्वास्त गुजारी है। प्रतिवादी 7,8,10 को कई बार समन जारी किये, लेकिन उन्हें समनों की तामील नहीं हो पा रही है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस तकसीम बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 12–01–2026 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मौका तकसीम करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 706816 / 2025 तारीख मजरुआ : 16–10–2025 तारीख पेशी : 27–12–2025

श्री राजेश कुमार पुत्र नन्द लाल, निवासी गांव बगला, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

श्री संजय कुमार पुत्र श्रीमती पदमा देवी, निवासी तराणू, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) आदि .. प्रत्यार्थीगण।

इश्तहार मुश्त्री मुनियादी पेशी में तलब होने हेतु।

श्री राजेश कुमार पुत्र नन्द लाल, निवासी गांव बगला, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में अधीन धारा 123 (हि0प्र0) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत भूमि आराजी खाता खतौनी 226 / 284, खसरा नम्बर 175, रकबा तादादी 14–11–13 बीघा में 800 / 5833 भाग बकदर 02–00–00 बीघा स्थित मुहाल मलोह, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी की तकसीम करने हेतु दावा दायर कर रखा है। दावा में प्रतिवादी संख्या 5 मनोज कुमार पुत्र लाल चन्द निवासी गांव व तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) को वजरिया समन तलब किया गया था परन्तु समन तामील रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रतिवादी दिए गए पते में नहीं रहता है तथा वादी द्वारा इस न्यायालय में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त प्रतिवादी मनोज कुमार का पता प्राप्त न हो सका है। अतः प्रतिवादी मनोज कुमार पुत्र लाल चन्द, निवासी गांव व तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) को इस नोटिस इश्तहार से सूचित किया जाता है यदि किसी को उपरोक्त दावा बारा कोई उजर / एतराज है तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 27–12–2025 को हाजिर होवें। न हाजिर होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 8–12–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री अंकित शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

उनवान मुकद्दमा :

श्री हरिया राम पुत्र स्व0 श्री काला राम, निवासी गांव पटयाला, डा0 सिहली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ..... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बराये कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे।

श्री हरिया राम पुत्र स्व0 श्री काला राम, निवासी गांव पटयाला, डा0 सिहली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का नाम स्थानीय ग्राम पंचायत के अभिलेख में व आधार कार्ड में हरिया राम दर्ज है, जो कि सही है। परन्तु पटवार वृत्त चूरढ़ के मुहाल चमुखा, पटवार वृत्त बामला के मुहाल रोपड़ी तथा पटवार वृत्त के मुहाल महादेव के राजस्व अभिलेख में निका राम दर्ज है। प्रार्थी उपरोक्त राजस्व अभिलेख में अपना नाम निका राम की दुरुस्ती करवाकर निका राम उपनाम हरिया राम करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती के बारे में कोई भी उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 30–12–2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। उपरोक्त तिथि के पश्चात् किसी भी व्यक्ति का कोई एतराज काबिले समायत न होगा व नाम दुरुस्ती के बारे में हस्ब जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 08–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Ashish Yadav aged 35 years, s/o Sh. Shiv Ram Yadav, r/o House No. 281/11, Purana Bazar, P.O. Sundernagar Township, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.).

2. Smt. Suhani Nagpal aged 36 years, d/o Sh. Sohan Lal Nagpal, r/o Vikas Kunj, Vikas Puri, West Delhi, Delhi-11018 (At Present w/o Sh. Ashish Yadav s/o Sh. Shiv Ram Yadav, r/o House No. 281/11, Purana Bazar, P.O. Sundernagar Township, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.). . . *Applicants.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application for the registration of marriage u/s 15 of Special Marriage Act.

Applicants Ashish Yadav and Suhani Nagpal have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and ceremonies on dated 07-02-2018 and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objections personally or in writing before this court on or before 05-01-2026. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 03-12-2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Sh. Daya Nand Sharma, Executive Magistrate, Grade-II, Rohru, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Sh. Balwan Singh s/o Lt. Sh. Ranu Ram, r/o Village & P.O. Karasa, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Balwan Singh s/o Lt. Sh. Ranu Ram, r/o Village & P.O. Karasa, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the date of birth of his Daughter Miss Simran (07-12-2012) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Karasa.

Now, therefore, objections are invited from the general public, that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of Miss Simran, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 3rd December, 2025.

Seal.

Sd/-
(DAYA NAND SHARMA),
Executive Magistrate Grade-II,
Rohru, District Shimla (H.P.).

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

1. श्री चमन सिसोदीया पुत्र मोही राम, ग्राम कोटागण, डाकघर थरोच, तहसील नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

2. श्रीमती ऊषा सिसोदीया पत्नी चमन सिसोदीया, ग्राम कोटागण, डा0 थरोच, तहसील नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. ग्राम पंचायत कुताह, 2. आम जनता

Application for correction of name in the family register of the G.P. Kutah, Pan Card & Aadhar Card.

आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री चमन सिसोदीया पुत्र मोही राम व श्रीमती ऊषा सिसोदीया पत्नी चमन सिसोदीया, ग्राम कोटागण, डाकघर थरोच, तहसील नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उनका नाम परिवार रजिस्टर, पैन कार्ड व आधार कार्ड में चमन प्रकाश व ऊषा लिखा गया है जोकि गलत है। जबकि चमन प्रकाश का सही नाम चमन सिसोदीया व ऊषा का सही नाम ऊषा सिसोदीया है। प्रार्थी अपना नाम चमन सिसोदीया व ऊषा सिसोदिया परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत कुताह, पैन कार्ड व आधार कार्ड में दुरुस्त करवाना चाहते हैं। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थना–पत्र के साथ नकल परिवार रजिस्टर व शपथ पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।

अतः आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम व खास को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत कुताह, पैन कार्ड व आधार कार्ड में चमन प्रकाश के स्थान पर चमन सिसोदीया व ऊषा के स्थान पर ऊषा सिसोदीया दुरुस्त करने में कोई एतराज हो तो दिनांक 27–12–2025 को या इससे पूर्व इस अदालत में असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो हाजिर आकर अपना एतराज पेश करें। दिगर सूरत में चमन प्रकाश के स्थान पर चमन सिसोदीया व ऊषा के स्थान पर ऊषा सिसोदीया परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत कुताह, पैन कार्ड व आधार कार्ड में दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित / –
मोहर। उप–मण्डल दण्डाधिकारी ,
चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कैस नं0 : / 2025

श्रीमती नसीमा बेगम पत्नी अब्दुल रहमान, निवासी बांगरन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती नसीमा बेगम पत्नी अब्दुल रहमान, निवासी बांगरन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू–एन / एसटी / बीएण्डडी / डिलेय केसिस / 2025–9771 दिनांक 04–11–2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी बेटी जिसका नाम आरीफा पुत्री अब्दुल रहमान है, की जन्म तिथि 06–06–2016 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की पुत्री की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत फुलपुर के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 04–01–2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में आरीफा पुत्री अब्दुल रहमान, निवासी बांगरन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 08–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कैस नं0 : / 2025

श्री चुंगला पुत्र ताशी, निवासी हाउस नम्बर 30, साक्या तिब्बतन सोसाइटी पुरूवाला, डा0 गोरखूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री चुंगला पुत्र ताशी, निवासी हाउस नम्बर 30 साक्या तिब्बतन सोसाइटी पुरूवाला, डा0 गोरखूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू–एन / एसटी / बीएण्डडी / डिलेय कैसिस / 2025–3738, दिनांक 21–06–2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसके पुत्र जिसका नाम Tsering Migyur s/o Shri Chungla है, की मृत्यु तिथि 23–07–2007 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी के पुत्र की मृत्यु तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो दिनांक 02–01–2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में Tsering Migyur s/o Shri Chungla, निवासी हाउस नम्बर 30, साक्या तिब्बतन सोसाइटी पुरूवाला, डा0 गोरखूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 02–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कैस नं0 : / 2025 दायर तिथि

श्री गामी पुत्र पुन्नू, निवासी जम्बूखाला, डा0 निहालगढ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री गामी पुत्र पुन्नू, निवासी जम्बूखाला, डा0 निहालगढ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू–एन / एसटी / बीएण्डडी / डिलेय कैसिस / 2025–10952, दिनांक 26–11–2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी बेटियां जिनका नाम शबीना व हसीना है, की जन्म तिथियां

01–06–2017 व 02–07–2019 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की पुत्रीयों की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत अजौली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई भी उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 06–01–2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में शबीना पुत्री गामी की जन्म तिथि 01–06–2017 व हसीना पुत्री गामी की जन्म तिथि 02–07–2019, निवासी जम्बूखाला, डा0 निहालगढ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक ———————— को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 12 / 13(3) of 2025 तारिख मजरूआ : 09–10–2025 तारीख पेशी : 05–01–2025

श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री उमा दत्त, निवासी बकाहन, डा0 भरोग बनेड़ी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थिया श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री उमा दत्त, निवासी बकाहन, डा0 भरोग बनेड़ी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थिया अपना नाम व जन्म ग्राम पंचायत भरोग बनेड़ी में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का जन्म मिति 18–10–1969 को ग्राम पंचायत भरोग बनेड़ी में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत भरोग बनेड़ी में दर्ज न करवा सकी, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे–सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 05–01–2026 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 04–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित / –
मोहर। जय सिंह ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, घनारी, तहसील घनारी,
जिला ऊना (हि0प्र0)

विवाह पंजीकरण–

1) श्री दीपक कुमार पुत्र श्री देव राज, निवासी गांव बढेड़ा राजपूतां, तहसील गगरेट, स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0)। प्रार्थी।

2) श्रीमती शिवानी शर्मा पुत्री श्री ओम प्रकाश, वासी गांव कुजैल व डाक0 समोह, तहसील झंडूता, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) हाल पत्नी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री देव राज, निवासी गांव बढेड़ा राजपूतां, तहसील गगरेट, स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय : प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

श्री दीपक कुमार पुत्र श्री देव राज, निवासी गांव बढेड़ा राजपूतां, तहसील गगरेट, स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) व श्रीमती शिवानी शर्मा, पुत्री श्री ओम प्रकाश वासी गांव कुजैल व डाक0 समोह, तहसील झंडूता, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) हाल पत्नी श्री दीपक कुमार, पुत्र श्री देव राज, निवासी गांव बढेड़ा राजपुतां, तहसील गगरेट, स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनकी शादी दिनांक 20–10–2023 को मुताबिक हिन्दू रीति–रिवाज हुई थी परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत बढेड़ा के अभिलेख में नहीं करवाया है। प्रार्थी व प्रार्थिया ने अपनी शादी की पुष्टि बारे अपनी फाटो, शपथ पत्र व आधार कार्ड आदि दस्तावेज प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किए हैं। रिपोर्ट सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत बढेड़ा के अनुसार उक्त शादी सम्बन्धित ग्राम पंचायत बढेड़ा में दर्ज न है। अब प्रार्थी अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 04–01–2025 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। गैरहाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही करके नियमानुसार सम्बन्धित नगर पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 14–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
घनारी, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

————————

अदालत ना0 तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 16 / NT/C/2025 तारीख दायरा : 28–11–2025 तारीख पेशी : 29–12–2025

वीना कुमारी पुत्री मेहर चन्द, वासी महाल काहरु, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र राजस्व अभिलेख महाल काहरु में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल काहरू में वीका देवी पुत्री मेहर चन्द, वासी महाल काहरु दर्ज है जबकि स्कूल रिकार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत रिकार्ड में वीना कुमारी, पुत्री मेहर चन्द दर्ज है, जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थिया राजस्व अभिलेख महाल काहरु में वीका देवी पुत्री मेहर चन्द के स्थान पर वीना कुमारी, पुत्री मेहर चन्द के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार / नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28–12–2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। उजर / एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29–12–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

––––––––––

कार्यालय तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 03 / NT/M/2025 तारीख दायरा : 11–12–2025 तारीख पेशी : 30–12–2025

श्री सेवा राम पुत्र मेहर चन्द, वासी हलेड, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––आवेदन–पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्री सेवा राम पुत्र मेहर चन्द, वासी हलेड, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय / न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 05–10–2012 को महाल हलेड, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा में हुआ था। परन्तु अज्ञानतावश वह अपनी पुत्री का नाम ग्राम पंचायत हलेड में दर्ज नहीं करवा पाया है।

अतः सर्वसाधारण एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30–12–2025 समय प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम खुशी पुत्री श्री सेवा राम, वासी हलेड तथा जन्म तिथि 05–10–2012 दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत हलेड को आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 11–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय / न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 17 / NT/C/2025 तारीख दायरा : 10–12–2025 तारीख पेशी : 30–12–2025

राज कुमार पुत्र रतन चन्द, वासी महाल गुरालधार, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र राजस्व अभिलेख महाल गुरालधार में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल गुरालधार में हरनामू पुत्र कालू दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र व ग्राम पंचायत रिकार्ड में मेरे पिता का नाम रतन चन्द दर्ज है, जोकि मेरे पिता का सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल गुरालधार में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती हरनामू उपनाम रतन चन्द पुत्र कालू राम के रूप में करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार / नोटिस राजपत्र हि0प्र0 के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बंधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30–12–2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। उजर / एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10–12–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———————

अदालत ना0 तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 16 / NT/C/2025 तारीख दायरा : 28–11–2025 तारीख पेशी : 29–12–2025

वीना कुमारी पुत्री मेहर चन्द, वासी महाल काहरु, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र राजस्व अभिलेख महाल काहरु में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल काहरू में वीका देवी पुत्री मेहर चन्द, वासी महाल काहरु दर्ज है जबकि स्कूल रिकार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत रिकार्ड में वीना कुमारी, पुत्री मेहर चन्द दर्ज है, जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थिया राजस्व अभिलेख महाल काहरु में वीका देवी पुत्री मेहर चन्द के स्थान पर वीना कुमारी, पुत्री मेहर चन्द के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार / नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28–12–2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। उजर / एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29–12–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

––––––––––

कार्यालय तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 03 / NT/M/2025 तारीख दायरा : 11–12–2025 तारीख पेशी : 30–12–2025

श्री सेवा राम पुत्र मेहर चन्द, वासी हलेड, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––आवेदन–पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्री सेवा राम पुत्र मेहर चन्द, वासी हलेड, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय / न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 05–10–2012 को महाल हलेड, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा में हुआ था। परन्तु अज्ञानतावश वह अपनी पुत्री का नाम ग्राम पंचायत हलेड में दर्ज नहीं करवा पाया है।

अतः सर्वसाधारण एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30–12–2025 समय प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम खुशी पुत्री श्री सेवा राम, वासी हलेड तथा जन्म तिथि 05–10–2012 दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत हलेड को आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 11–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय / न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 17 / NT/C/2025 तारीख दायरा : 10–12–2025 तारीख पेशी : 30–12–2025

राज कुमार पुत्र रतन चन्द, वासी महाल गुरालधार, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ..... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र राजस्व अभिलेख महाल गुरालधार में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल गुरालधार में हरनामू पुत्र कालू दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र व ग्राम पंचायत रिकार्ड में मेरे पिता का नाम रतन चन्द दर्ज है, जोकि मेरे पिता का सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल गुरालधार में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती हरनामू उपनाम रतन चन्द पुत्र कालू राम के रूप में करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार / नोटिस राजपत्र हि0प्र0 के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बंधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30–12–2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। उजर / एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10–12–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———————

CHANGE OF NAME

I, Shanta Devi w/o Shri Jagmohan Singh, r/o V.P.O. Barwara, Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.) declare that my name is Shabnam on my Aadhar Card No. 8560 8743 7623. My name on my Aadhar Card should be changed from Shabnam to Shanta Devi. All concerned please may note.

SHANTA DEVI
w/o Shri Jagmohan Singh,
r/o V.P.O. Barwara, Tehsil Dehra,
Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vinay Kumari d/o Sh. Bhup Ram Verma, r/o Verma Niwas, Annadale, Shimla (H.P.)-171003 declare that I have changed my name from Veena Verma (Old Name) to Vinay Kumari (New Name) in my Aadhar Card. All concerned please may note.

VINAY KUMARI
d/o Sh. Bhup Ram Verma,
r/o Verma Niwas,
Annadale, Shimla (H.P.)-171003.

CHANGE OF NAME

I, Prem Singh s/o Sh. Manglu, aged about 61 years, r/o Village Samrech, P.O. Jubbri, Tehsil Arki, Distt. Solan, H.P. declare that I have changed my minor grand daughter's name from Senhel Pal (Old Name) to Snehal Pal (New Name). All concerned please may note.

PREM SINGH
s/o Sh. Manglu, r/o Village Samrech,
P.O. Jubbri, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Santosh w/o Sh. Rajesh Kumar, r/o Vill. Bhainch (177), P.O. Kuftoo, Tehsil Kandaghat, Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Santosh to Reeta Devi. All concerned please may note for future.

SANTOSH
w/o Sh. Rajesh Kumar,
r/o Village Bhainch (177),P.O. Kuftoo,
Tehsil Kandaghat, Disttrict Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sar Dei w/o Sh. Ram Lok, aged 43 years, r/o Village Mangalvaas Pargana Loh Tikkri, Tehsil Churah, District Chamba (H.P.) declare that my correct name is Sar Dei whereas, in my Aadhar Card my name is written as Saro which is incorrect. My correct name as Sar Dei in place of Saro may be entered in my Aadhar Card. All concerned please may note.

SAR DEI
w/o Sh. Ram Lok,
r/o Village Mangalvaas Pargana Loh Tikkri,
Tehsil Churah, District Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Preeti Kumari w/o Sh. Kamal Kumar, r/o Village Neri-Kalan (70/835), Post Office Sultanpur, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Purvi to Trisha. All concerned please may note for future.

PREETI KUMARI
w/o Sh. Kamal Kumar,
r/o Village Neri-Kalan (70/835),
P.O. Sultanpur, Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Virender Kumar s/o Sh. Mushu Ram, r/o V.P.O. Barog, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Rudhar to Ruder Thakur. All concerned please may note for future.

VIRENDER KUMAR
s/o Sh. Mushu Ram,
r/o V.P.O. Barog,
Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anila Kumari d/o Sh. Mohar Singh and w/o Sh. Atul Raj, r/o 71/1K, Village Deuri, P.O. Haripur Dhar, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that my daughter's correct name is Srishti, but in Aadhar Card wrongy entered as Srshti. Therefore, please change it from Srshti to Srishti. All concerned please note it.

ANILA KUMARI
d/o Sh. Mohar Singh and w/o Sh. Atul Raj,
r/o 71/1K, Village Deuri, P.O. Haripur Dhar,
District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Subhash s/o Kuldeep Singh, Tikri (339), Theog, Shimla, Himachal Pradesh-171209 declare that I have changed my minor son's name from Aidish (Old Name) to ADITYA NEGI (New Name). All concerned please may note.

SUBHASH
s/o Kuldeep Singh,
Tikri (339), Theog, Shimla,
Himachal Pradesh-171209.

CHANGE OF NAME

I, Ashok s/o Shri Mindal Singh, Vill. Shiladesh, P.O Larot, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla, H.P. declare that name of my daughter Trinetra is wrongly mentioned as baby one of Shivani in her Aadhar Card No. 5322 5852 6015. Therefore, it should be changed to Trinetra in her aadhar card. Note the relevant information.

ASHOK
s/o Shri Mindal Singh,
Vill. Shiladesh, P.O Larot,
Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla HP.

CHANGE OF NAME

I, PRIYANKA d/o Roshan Lal, Village Megal, Post Office Bijni, Bijan (368) Mandi, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar No. 8224 6399 0315 my name is wrongly entered as Priya. Correct name is Priyanka.

PRIYANKA
d/o Roshan Lal,
Village Megal, Post Office Bijni, Bijan (368) Mandi,
Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sherstha Devi w/o Dharam Singh, r/o Village Kot, P.O. Kot, Tehsil Bamson at Tauni Devi , Distt. Hamirpur (H.P) declare that I have changed my name from Sarestha Devi to Sherstha Devi for all purpose in future. Please note.

SHERSTHA DEVI
w/o Dharam Singh,
r/o Village Kot, P.O Kot,
Tehsil Bamson at Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kaushalya Devi w/o Sh. Badri Ram, r/o Vill. Kakkar, P.O Kakkar, Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Kaushlya Devi to Kaushalya Devi for all purpose in future. All concerned please note.

KAUSHALYA DEVI
w/o Sh. Badri Ram,
r/o Vill. Kakkar, P.O Kakkar,
Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sunita Devi w/o Shri Karan Singh, r/o Village Bharoli Khurad, P.O. Bharoli Kalan, Sub-Tehsil Kalol, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur, H.P. declare that in my daughter's Aadhar Card her name is wrongly recorded as Sumaira. Her correct name is Samaira. All concerned note.

SUNITA DEVI
w/o Shri Karan Singh,
r/o Village Bharoli Khurad, P.O Bharoli Kalan,
Sub-Tehsil Kalol, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Jeevna Kumari w/o Satish Kumar, VPO Gheori, Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.) declare that my correct name is JEEVNA KUMARI, whereas in matric certificate of my son Aryan my name is recorded as Jeevna Devi. That my name should be corrected in his matric certificate (bearing Roll No. 17277661) as Jeevna Kumari. All concerned please may note.

JEEVNA KUMARI
w/o Satish Kumar,
VPO Gheori, Tehsil Dehra,
Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Suman Singh d/o Sh. Onkar Singh, r/o Vill. Dandhal, P.O. Samrahan, Tehsil Kotli, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Suman to Suman Singh for all purposes in future. All concerned please may note.

SUMAN SINGH
d/o Sh. Onkar Singh,
r/o Vill. Dandhal, P.O. Samrahan,
Tehsil Kotli, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Padmini Kashyap d/o Ramesh Kashyap (Aadhaar No. 3538 7341 0801), r/o Village Ber Ki Ser, P.O. Chambaghat, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) declare that I have voluntarily changed my name to Evangeline. My name may please be updated to Evangeline in all my documents, replacing Padmini Kashyap, I shall be known as Evangeline hereafter. Concerned authorities may take note.

PADMINI KASHYAP
d/o Ramesh Kashyap,
r/o Village Ber Ki Ser, P.O. Chambaghat,
Tehsil and Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ritu (New Name) w/o Sh. Chet Ram, r/o Village Sansog, P.O. Dhadirawat, Tehsil Jubbal, Distt. Shimla (H.P.) 171206 declare that in Aadhaar Card bearing No. 8549 9935 7547 I have changed my name from Rita (Previous Name) to Ritu (New Name). All concerned please may note.

RITU
w/o Sh. Chet Ram,
r/o Village Sansog, P.O. Dhadirawat,
Tehsil Jubbal, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kalpana Roka (New Name) d/o Asha Ram, Village Padshal, Darkoti (99), Darkoti, Shimla, Kotkhai, Himachal Pradesh-171202 declare that I have changed my name from Kalpana (Previous Name) to Kalpana Roka (New Name). All concerned please may note.

KALPANA ROKA
d/o Asha Ram,
Village Padshal, Darkoti (99), Darkoti,
Shimla, Kotkhai, (Himachal Pradesh)-171202.

CHANGE OF NAME

I, Vikas Katoch s/o Shri Rajender Chand Katoch, r/o Village Kotwala Lahar, P.O. Sai, Tehsil Thural, Distt. Kangra, Himachal Pradesh have changed my minor son's name from Atharav Katoch to Sharvil Katoch.

VIKAS KATOCH
s/o Shri Rajender Chand Katoch,
r/o Village Kotwala Lahar, P.O. Sai,
Tehsil Thural, Distt. Kangra, Himachal Pradesh.

CHANGE OF NAME

I, Vipolove Sharma s/o Onkar Sharma, r/o Village Kahla, P.O. Babeli, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) declare that I have changed my name from Viplove Sharma to Vipolove Sharma for all future purposes. Concerned note it.

VIPOLOVE SHARMA
s/o Onkar Sharma,
r/o Village Kahla, P.O. Babeli,
Tehsil & Distt. Kullu (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Brikmo Devi w/o Sh. Basakhu Ram, Village Panjaltar, P.O. Kuthera, Tehsil Jogindernagar, Distt. Mandi (H.P.) do hereby declare that in my Aadhaar Card my name is wrongly entered as Vrikamu Devi. Please enter my correct name Brikmo Devi as per other documents.

BRIKMO DEVI
w/o Sh. Basakhu Ram,
Village Panjaltar, P.O. Kuthera,
Tehsil Jogindernagar, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bibash Pun Magar s/o Sh. Mahender, r/o Village Karyali, P.O. Mashobra, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Bibas to Bibash Pun Magar. All concerned please may note.

BIBASH PUN MAGAR
s/o Sh. Mahender,
r/o Village Karyali, P.O. Mashobra,
Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ram Kali Pun Magar w/o Sh. Bibas, r/o Village Karyali, P.O. Mashobra, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Ram Kali to Ram Kali Pun Magar. All concerned please may note.

RAM KALI PUN MAGAR
w/o Sh. Bibas,
r/o Village Karyali, P.O. Mashobra,
Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shaliza Kumari (5) w/o Sh. Rashpal Singh, r/o Village Tatehra, Sub-Tehsil Gagret at Kaloh, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.) have changed my name from Shalja Devi Shaliza Kumari. Concerned note.

SHALIZA KUMARI
w/o Sh. Rashpal Singh,
r/o Village Tatehra, Sub-Tehsil Gagret at Kaloh,
Tehsil Ghanari, Distt. Una, (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Meenakshi aged 37 years w/o Manoj Kumar, r/o VPO. Makol, Teh. Panchrukhi, Distt. Kangra (H.P.) declare that my daughter's name in her Aadhaar Card is wrongly entered as Isha Katoch. But as per her birth certificate and other records her correct name is Kumari Isha. All concerned note it.

MEENAKSHI
w/o Manoj Kumar,
r/o VPO. Makol, Teh. Panchrukhi,
Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Bill Bahadur s/o Ram Chander, aged 57 years, r/o Village Bari, P.O. Bari, Tehsil Nichar, Distt. Kinnaur (H.P.) do hereby solemnly affirm and declare that my real and correct name is Bill Bahadur son of Ram Chander, as per Panchayat family register and revenue records. In my Adhaar Card my name has been recorded as Rakesh Kumar son of Ram Chander which is incorrect. My name be corrected in my Aadhaar Card from Rakesh Kumar to my correct name Bill Bahdur son of Ram Chander for all purpose in future.

BILL BAHADUR
s/o Ram Chander,
r/o Village Bari, P.O. Bari,
Tehsil Nichar, Distt. Kinnaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ritu Massey aged about 42 years w/o Sh. Anil Massey, r/o Village Sher Fleld, Mythe Estate, Upper Kaithu, Shimla (H.P) (Adhaar No. 9111 7960 7826) declare that I have changed my name from Ritu Massey to Rita Kumari. All concerned please may note.

RITU MASSEY
w/o Sh. Anil Massey,
r/o Village Sher Fleld Mythe, Estate Upper, Kaithu, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Lubhi Devi w/o Thakru, r/o Village Dadhei, P.O. Jari, Sub-Tehsil Jari, Distt. Kullu (H.P.) declare that I want to change my name from Lobhi to Lubhi Devi in all documents. Concerned note.

LUBHI DEVI
w/o Thakru,
r/o Village Dadhei, P.O. Jari,
Sub-Tehsil Jari, Distt. Kullu (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।